चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 03.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). आज दिनाँक-03.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारीगण के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया । बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी। परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये।

(4).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजुलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनाँक 03.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 978/2015 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त शंकरलाल यादव पुत्र मंगल प्रसाद निवासी ग्राम लोढ़वारा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 03.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 270/2021 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार पुत्र रामनरेश निवासी रक्सौली थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशांबी को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री एस0के0 यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एससी एसटी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 03.03.2025 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 246A/012 धारा 323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. श्यामबरन यादव पुत्र भुल्ला यादव 2. बालाप्रसाद पुत्र भौंडा यादव निवासीगण बरवारा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 06-06 माह का कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 28.05.012 को मुन्ना पुत्र रामदास निवासी बरवारा द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्तगण 1. श्यामबरन यादव पुत्र भुल्ला यादव 2. बालाप्रसाद पुत्र भौंडा यादव निवासीगण बरवारा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट की है जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 246A/2012 धारा 323,504,506 भादवि0 व 3(1)10 एसएसीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री सुरेन्द्र चन्द्र रावत द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी एवं दिनाँक 03.06.2012 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमारतथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एसीएसटी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 03.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 246/012 धारा 304,323 भादवि के आरोपी अभियुक्त 1.मुन्नालाल पुत्र रामपाल 2. बुटवा पुत्र माधव 3.बारेलाल पुत्र बुटवा 4.परदेशी पुत्र बुटवा 5.राकेश पुत्र बुटुवा निवासीगण बरवारा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कारावास व 5500-5500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2012 को वादी श्यामबरन पुत्र भुल्ली निवासी बरवारा ने कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि अभियुक्तगणों 1.मुन्नालाल पुत्र रामपाल 2. बुटवा पुत्र माधव 3.बारेलाल पुत्र बुटवा 4.परदेशी पुत्र बुटवा 5.राकेश पुत्र बुटुवा निवासीगण बरवारा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा लाठी डण्डों से मारपीट कर वादी को व बालाप्रसाद,भोण्डा को गंभीर रुप से घायल कर दिया जिसमें भोण्डा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 246/012 धारा 149,308,149,304,323,504 भादवि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री संतराम अहिरवार द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिनाँक 10.06.012 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।